

न्यायालय—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपालगंर जिला बुरहानपुर म.प्र.

क्रमांक क/री-1/2019/636

नेपालगंर दिनांक 25.07.2019

प्रति,

सहायक संचालक (विज्ञापन)  
जनसंपर्क संचनालय  
म0प्र0 भोपाल,

विषय :- म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना का समाचार पत्रो मे प्रकाशन करने बाबत।

—00—

जिला बुरहानपुर की तहसील नेपालगंर के ग्राम नेपालगंर जिला बुरहानपुर (म.प्र.) में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु नगर पालिका नेपालगंर के अन्तर्गत जिला बुरहानपुर म0प्र0 में नेपाल मिल्स लिमिटेड की वनभूमि पर निर्मित मकान मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र0 एफ0 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के आपसी सहमति से क्रय नीति 2014 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। उक्त सार्वजनिक सूचना की दस प्रतियां इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

अतः उक्त सार्वजनिक सूचना पत्र का एक स्थानीय ओर एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
भू-अंजन अधिकारी (राजस्व) नेपालगंर

क्रमांक क/री-1/2019/637

नेपालगंर दिनांक 25.07.2019

प्रतिलिपि:

1. कलेक्टर महोदय बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न सार्वजनिक सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करे।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग इन्दौर की ओर (संलग्न सार्वजनिक सूचना) आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि जिले की वेवसाईड पर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किये जाने का कष्ट करे।
4. तहसीलदार नेपालगंर की ओर सार्वजनिक सूचना की 08 प्रतिया भेजकर लेख है कि एक-एक प्रति निम्न स्थलो पर चस्पा करवाकर तथा ग्राम मे डोंडी पिटवाकर वाद तामिल के मय अपने प्रमाणीकर के साथ एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
  1. उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर।
  2. तहसील कार्यालय नेपालगंर के नोटिस बोर्ड पर।
  3. नगर पालिका परिषद नेपालगंर के नोटिस बोर्ड पर।
  4. क्रय की जा रही भूमि/स्थल पर।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
भू-अंजन अधिकारी (राजस्व) नेपालगंर

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क/...../भू-अर्जन/2019/

बुरहानपुर, दिनांक 22/7/2019

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम नेपालनगर जिला बुरहानपुर (म0प्र0) में रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु नगर पालिका नेपालनगर के अन्तर्गत जिला बुरहानपुर म0प्र0 में नेपा मिल्स लिमिटेड की वनभूमि पर निर्मित मकान मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र0 एफ0 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

स0 क्र0	भू-स्वामी का नाम व पिता / पति का नाम	वन विभाग का कक्ष क्र0 / आवास गृह क्र0	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (वर्गमीटर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
1.	ग्राम नेपालनगर प्रबन्धक सम्पदा नेपा लिमिटेड नेपालनगर	214.215 आवास गृह क्र0 बी-1, 33, 34, 38	213	-	213	213 वर्गमीटर मकान तोड़ा जाना है ।



( राजेश कुमार कौल )  
कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर